झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–24 / 2020

मो0 तबरेज आलम उर्फ चमरा छोटू उर्फ मो0 तबरेज .... याचिकाकर्त्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

उपस्थित : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री असीन मेहरोत्रा, अधिवक्ता।

राज्य के लिए : श्री भोला नाथ रजक, ए0पी0पी0।

सूचक के लिए: श्री सुनील सिंह, अधिवक्ता

04 / 15.07.2020 श्री असीन मेहरोत्रा, याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री भोला नाथ रजक, विद्वान ए0पी0पी0 राज्य की ओर से, जिन्हें सूचक की ओर से उपस्थित सुनील सिंह, विद्वान अधिवक्ता के द्वारा सहायता दी गई, को सुना।

याचिकाकर्त्ता की जमानत के लिए प्रार्थना बी0ए0 संख्या 5387 / 2019 में पूर्व में खारिज कर दी गई थी।

यह श्री असीन मेहरोत्रा, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्त्ता का काई पूर्व अपराध नहीं है और याचिकाकर्त्ता के सचेत कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि जब्त आग्नेयास्त्रों को पु0 उपाधीक्षक द्वारा फॉरेन्सिक प्रयोगशााला में भेजने

के निर्देश के बावजूद, 45 दिनों तक मालखाना में पड़ा रहा। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि मृतक स्वयं एक कुख्यात गैंगस्टर था जो बड़ी संख्या में मामलों में शामिल था। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि विचारण के क्रम में दो साक्षियों का परीक्षण किया गया है और उनके साक्ष्य में असंगत एवं विरोधाभाष था। अभि0 सा0 1 ने साक्ष्य दिया है कि सबसे पहले मो0 शमशाद ने मृतक पर गोली चलाई उसके पश्चात् मो0 शमशेर, याचिकाकर्त्ता एवं डी0सी0 गुड्डु ने गोली चलाया। उसने आगे यह प्रस्तुत किया है कि मो0 शमशाद एवं याचिकाकर्त्ता का आग्नेयास्त्र नीचे गिर गया और यह तथ्य अभि0 सा0 2 द्वारा नहीं कहा गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अभि0 सा0 2 ने साक्ष्य दिया है कि मृतक ने हमलावरों का नाम तपाक से अभि0 सा0 1 बतलाया जो आग्नेयास्त्र का उपयोग किया था परन्तु यह अभि0 सा0 1 द्वारा नहीं कहा गया।

विद्वान ए0पी0पी0 ने याचिकाकर्त्ता की जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है और कहा है कि जमानत के लिए प्रार्थना पर पुनर्विचार करने के लिए कोई ताजा आधार नहीं है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट को मृतक के पिता अब्दुल गफ्फार ने लिखा है, जिन्होनें स्पष्ट रूप से कहा है कि हमलावरों को देखा है जिसमें याचिकाकर्त्ता ने मृतक पर गोली चलाई थी। केस डायरी के पैरा 16 में मो0 इमरान का बयान दर्ज किया गया है, जिनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होनें घटना को देखा था और विशेष रूप से घटना में भाग लेने वाले आरोपी व्यक्तियों का नाम लिया था। याचिकाकर्त्ता का कबूलनामा केस डायरी के पैरा 76 में जगह पाता है और केस डायरी के पैरा 128 में मृतक के आपराधिक पृष्ठभूमि हैं। केस डायरी में लगातार सबूत हैं और

साथ ही गवाहों के साक्ष्य में अब तक जाँच की गई है जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह याचिकाकर्त्ता भी था जिसने सोनू इमरोज की हत्या में भाग लिया था और वास्तव में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक को पाँच आग्नेयास्त्र का जख्म लगा।

याचिकाकर्त्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप की प्रत्यक्ष प्रकृति के मद्देनजर, मैं याचिकाकर्त्ता की जमानत के लिए प्रार्थना पर पुनर्विचारकरने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, जिसे इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है।

ह0

(आर0 मुखोपाध्याय, न्याया0)